अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

248/19/225 कैलीदेवी V/s सूरजकरण

तारीख पेशी	2019/00248 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 6A-9 ले 12 रेस्पो 2 से 8 अनु. श्री आशिष जैन श्री विकास पाराशर-1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.6.21	कैली देवी बनाम सूरजकरण वगैरह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट के प्रार्थना पत्र अपील को आगे नहीं चलाने वास्ते पेश किये जाने पर पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के समक्ष विचाराधीन वाद डिक्री हो जाने के कारण प्रार्थीया/अपीलांट अब उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहती है और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही चाहती है तथा अपील को इसी स्तर पर विड्रो करवाना चाहती है। अपीलांट अभिभाषक ने प्रार्थीया/अपीलांट के आधार कार्ड की फोटो प्रति स्वंय अंगूठा निशानी लगा हुआ प्रस्तुत किया है, जिसकी पहचान अभिभाषक अपीलांट ने की। अभिभाषक अपीलांट ने अनुरोध किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा उक्त अपील को आगे नहीं चलाये जाने से अपील को इसी स्तर पर विड्रो दाखिल दफ्तर फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अपीलांट अभिभाषक के निवेदन पर कि अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और अपील को विड्रो करना चाहते है। इसलिए अपील विड्रो किए जाने से खारिज करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट द्वारा विड्रो किए जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	Adv. 28/6